न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 115 वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल समिति आदि बनाम ग्रामपंचायत

निर्णय 21-09-2011

प्रस्तुत वाद एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल समिति त्रिवेणी नगर नैनी जरिये प्रबंधक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव व श्रीमती गायत्री देवी पत्नी उमेश चन्द्र निवासी 3ए/1 त्रिवेणी नगर नैनी परगना अरैल तहसील करछना जनपद इलाहाबाद ने ग्रामपंचायत मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद को प्रतिवादी बनाते हुए ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि प्रार्थीगण आराजी संख्या 882/0.5700 स्थित मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के संकमणीय भूमिधर व काबिजदखील काश्तकार हैं । यह कि उक्त आराजी पर कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन अथवा बागवानी आदि का कार्य नहीं होता है । अन्त में याचना किया है कि उपरोक्त आराजी को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक भूमि घोषित करने की कृपा करें और तद्नुसार अभिलेख दुरुस्त कराने की कृपा करें । साथ में मौजा मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1415 लगायत 1420फ0 की प्रति तथा बैनामा की छाया प्रति दाखिल किया है, जो संलग्न पत्रावली है ।

नियमानुसार प्रकरण की स्थलीय जॉच तहसीलदार करछना से करायी गयी । क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 10.06.2011 में उल्लिखित किया है कि आराजी नम्बर 882 रकबा 0.570हे0 स्थित ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद वर्तमान खतौनी 1415–1420फ0 के खाता संख्या 38 पर श्रीमती गायत्री देवी पत्नी उमेशचन्द्र श्रीवास्तव एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल समिति त्रिवेणी नगर नैनी जरिये प्रबंधक उमेशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी 3ए/1त्रिवेणी नगर नैनी के नाम अंकित है । उक्त गाटा नम्बर 882 रकबा 0.570हे0 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल समिति का बहुमंजिला भवन निर्मित है जिसमें कई बडे–बडे हाल, कमरे, बरामदा तथा सामने फील्ड एवं सम्पूर्ण रकबे पर 6 फिट ऊंची बाउन्ड्रीवाल बनी है । उक्त गाटा नम्बर तथा क्षेत्रफल पूर्णतया गैरकृषिक प्रयोग में आता है । अतः गाटा नम्बर 882 रकबा 0.570हे0 स्थित ग्राम मवैया उपरहार अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी घोषित करने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है । क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक नैनी ने अपनी आख्या दिनांक 25.06.2011 द्वारा लेखपाल आख्या सत्यापित किया है । तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 02.08.2011 में उल्लिखित किया है कि प्र0रा0नि0/लेखपाल की आख्यानुसार अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या यथाप्रस्तावित प्रेषित है । साथ में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है ।

क्रमशः——2

6का
2

मैने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या 38 गाटा संख्या 882 रकबा 0.570हे0 लगान मु0 5.60रू0 पर श्रीमती गायत्री देवी पत्नी उमेशचन्द्र नि0 एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल त्रिवेणी नगर नैनी द्वारा प्र0 उमेशचन्द्र व एस0एस0कानवेन्ट हाईस्कूल समिति त्रिवेणी नगर नैनी जरिये प्रबंधक उमेशचन्द्र श्रीवारतव नि0 3ए/1 त्रिवेणी नगर नैनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक नैनी तथा तहसीलदार करछना ने अपनी उक्त आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर अकृषिक है और बहुमंजिला मकान बना हुआ है तथा चारो ओर से बाउन्ड्रीवाल बनी है तथा अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गयी है । ऐसी स्थिति में उक्त आराजी को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः प्रभारी क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक नैनी तथा तहसीलदार करछना की आख्या के आधार पर ग्राम मवैया उपरहार परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की गाटा संख्या 882 रकबा 0.570हे0 भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है । तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाय । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय ।

21/09/2011

(पुष्कर श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी
करछना, इलाहाबाद ।

दिनांकः 21.09.2011

सवाल नं० 8331
प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार
नकल कर्ता PSC
मिलान कर्ता
3000
6का-5

सत्य प्रतिलिपि
अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार
प्रयागराज

(श्रीमती ... श्रीवास्तव)
... राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, प्रयागराज

भारत 5 पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5 COURT FEE